भारत सरकार

पेयजल एवं स्‍वच्छता मंत्रालय

राज्‍य सभा

तारांकित प्रश्‍न सं० \*4 (चौथी स्‍थिति)

दिनाँक 30.11.2015 को उत्‍तर दिए जाने के लिए

**fueZy Hkkjr vfHk;ku ds varxZr ^^ifjØkeh dks"k izkoèkku\*\***

**\*4- Jh fdjue; uUnk%**

D;k is;ty vkSj LoPNrk ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ fiNys ,d o"kZ ds nkSjku ns'k ds izR;sd ftys ds fy, fueZy Hkkjr vfHk;ku esa ^ifjØkeh dks"k izkoèkku\* ds varxZr vkcafVr vkSj [kpZ dh xbZ èkujkf'k dk C;kSjk D;k gS(

¼[k½ D;k ljdkj us bl y{; dks izkIr djus ds fy, dksbZ dk;Z&;kstuk cukbZ gS( vkSj

¼x½ ;fn gk¡] rks ifj;kstuk dk;kZUo;u dk ftyk&okj foLr`r rqyukRed fo'ys"k.k D;k gS\

**उत्‍तर**

**पेयजल एवं स्‍वच्‍छता मंत्री**

**(श्री बीरेन्‍द्र सिंह)**

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**दिनाँक 30.11.2015 को उत्‍तर के लिए निर्धारित राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं० 4 के उत्‍तर के संदर्भ में विवरण**

(क) निर्मल भारत अभियान/ स्‍वच्‍छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अंतर्गत घटक-वार धनराशि आबंटित नहीं की गई है। तथापि, स्‍वच्‍छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अधीन ग्रामीण सैनेटरी मार्ट्स/निर्माण केंद्रों की स्‍थापना के लिए धन-राशि उपलब्‍ध कराने सहित आवृत्‍ति फंड के रूप में अधिकतम रू० 1.5 करोड़ की शर्त के अधीन जिला परियोजना के योजनागत व्‍यय का 5% तक उपयोग किया जा सकता है। आवृत्‍ति फंड के अधीन धन-राशि व्‍यय नहीं की जाती है। आवृत्‍ति फंड शौचालयों के निर्माण के लिए उनके सदस्‍य को सस्‍ती वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध कराने के लिए सोसाइटियों, सैल्‍फ हैल्‍प ग्रुपों या अन्‍य ग्रुपों को दिया जा सकता है। इस फंड से ऋण 12-18 किस्‍तों में वसूल किया जाएगा।

(ख) लागू नहीं।

(ग) लागू नहीं।

\*\*\*\*